संख्याः300/44-1/2010-99-2008

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

सार्वजनिक उधम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक :25मई,2010

विषयः- **सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में नियुक्त विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों को देय वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-592/पी0आर0सी0-चौवालिस-1-89-149/84, दिनांक 05 मार्च,1990 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में नियुक्त विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों को देय वाहन भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है ।

2. विकलांग कल्याण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 137/65-1-2008-380/96, दिनांक 12 मई,2008 द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरो का निर्धारण किया गया है । इस संबंध में उन सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को, जो शारीरिक रुप से अक्षम(विकलांग)/ नेत्रहीन हैं अपनी ड्यूटी के स्थान पर आने तथा वापस जाने हेतु निम्नलिखित दरों पर वाहन भत्ता शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0सं0	वेतन स्तर			
	01.01.1986 से लागू वेतनमानों में	01.01.1996 से लागू वेतनमानों में	01.01.06 से लागू वेतनमानों में	प्रस्तावित वाहन प्रतिपूर्ति भत्ते की संशोधित दर (रुपये प्रतिमाह)
1	2	3	4	5
1.	रु0 949 तक	रु0 3049 तक	पे बैण्ड-एक रु0 5200-20200 में ग्रेड वेतन 1900 तक	300
2.	रु0 950 से 2039 तक	रु0 3050 से 5999 तक	पे बैण्ड एक रु0 5200-20200 में ग्रेड वेतन 2000 तक	400
3.	रु0 2040 और अधिक	रु0 6000 और अधिक	पे बैण्ड एक और इससे ऊपर तथा ग्रेड वेतन 2400 और अधिक	500

3. सार्वजनिक उपक्रम/ निगम उक्त व्यय भार को अपने संसाधनों से वहन करेंगे ।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 300 (1) /44-1-2010-99/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा द्वितीय,उ0प्र0, लखनऊ ।
2. सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों से संबंधित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव ।
3. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव ।